बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

जिला	शेखपुरा

नीलामी प्रपत्र सख्ंया

....

बिहार सरकार

शेखपुरा जिला के सम्पूर्ण बालूघाटों की बंदोबस्ती
हेतु निलामी के कागजात

ई—प्रोक्योरमेंट मोड

https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON

खान एवं भूतत्व विभाग
बिहार सरकार
न्यू सचिवालय,विकास भवन, बेली रोड, पटना।

Mines and Geology Department

Government of Bihar

Vikas Bhawan, Baily Road, Patna

बिहार सरकार

Notice Inviting E-Auction

(Through E-Procurement mode over https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)

(1) ई–नीलामी कार्यक्रम :

कम संख्या	गतिविधि	तिथि / समय : अवधि
1.	ई–नीलामी से पूर्व बैठक / प्रशिक्षण	दिनांक–23.11.2018 समय 11.00 बजे से खान एवं भूतत्व विभाग, विकास भवन, न्यू सचिवालय, बेली रोड़, पटना–800015
2.	निलामी दस्तावेज बिक्री शुल्क जमाकर निविदा दस्तावेज डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि	https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON नीलामी दस्तावेज बिक्री शुल्क – सिर्फ ऑनलाईन मोड केडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT/ आर0टी0जी0एस0 एवं डिमांड ड्राफ्ट/अन्य। प्रारंभ तिथि–24.11.2018 समय–11.00 बजे
3.	अग्रधन राशि एवं ऑक्सन प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन जमा तथा निविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	1. नीलामी अग्रधन राशि (सुरक्षित जमा राशि के 15 प्रतिशत) – ऑनलाईन मोड केडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT/ आर0टी0जी0एस0 एवं डिमांड ड्राफ्ट/अन्य। https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON 2. ऑक्सन प्रोसेसिंग फीस– सिर्फ ऑनलाईन मोड केडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनईएफटी/आर0टी0जी0एस0। 3. अंतिम तिथि–28.11.2018, समय–11.00 बजे से 5.00 बजे तक
4	नीलामी हेतु अग्रधन राशि ऑफलाईन मोड की स्थिति (बैंक ड्राफ्ट में) में उसकी मूल कागजात संबंधित जिला खनन कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	अंतिम तिथि–28.11.2018, समय–11.00 बजे से 5.00 बजे तक
5.	तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की सूची system में संबंधित समाहर्त्ता द्वारा upload करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक–.03.12.2018
6.	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	दिनांक–06.12.2018 समय 0430 बजे से https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON
7.	ई–नीलामी समाप्ति की तिथि एवं समय	दिनांक–06.12.2018 समय 06.00 बजे तक https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON

(2) नीलामी विवरणी :

Sl. No.	Auction descriptions of work	Auction Sub Item	Reserve Price	Auction form fee	Auction EMD	Auction Processing Fee	Minimum Increment Value (In INR)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	Settlement of sand ghats	Sand	10,29,000	5,000	1,54,350	1180	5000

(3) पंजीयन की प्रक्रिया

1. ई–ऑक्शन प्रकिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON में सर्वप्रथम पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि बोलीदार द्वारा पूर्व में ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो, तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। संभावित बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने हेतु एक वैध श्रेणी–2 डिजिटल हस्ताक्षर एवं यूजर आई0डी0 प्राप्त करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संबंधित बोलीदाता के पास एक वैध ई–मेल आई0डी0 होना अनिवार्य है।

2. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON पर पंजीयन लिंक के द्वारा पंजीयन की पद्यति सर्वप्रथम करनी होगी। पंजीयन पर क्लिक करने पर एक नई ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने करने के पश्चात आपको नियम एवं शर्तो को स्वीकार करना होगा तथा विंडों में दर्शित **CAPTCHA** को दर्ज कर अपना पंजीयन कराना होगा। सारे विवरण दर्ज करने के बाद संबंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन शुल्क के साथ भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क केवल ऑन–लाईन के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा, जो https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।
3. इस प्रकिया को पूर्ण करने पर पोर्टल के विडों पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो संबंधित प्रपत्र का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसकी वैद्यता एक वर्ष के लिए होगा।
4. उपरोक्त प्रकिया के उपरांत आपको यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का उपयोग नीलामी की प्रकिया में भाग लेने के लिए कर सकेंगे।

(4) ई–ऑक्शन की प्रक्रिया

1. नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक व्यक्ति को https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूसर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके प्रविष्टि करना होगा।
2. पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत एक्टिविटी विंडों में क्लिक करना होगा। इस विंडों में क्लिक के उपरांत आपको ऑक्शन का चयन करना होगा।
3. अग्रधन एवं आवेदन शुल्क सफलता पूर्वक जमा करने के पश्चात् बोलीदाता बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये यूजर आई0डी0 का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं भुगतान रसीद के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेंगे। जो निम्नवत है :–
4. तकनीकि निविदा के लिए निम्नांकित कागजात दिया जाना होगा :–
   (क) निविदा के शर्त्तो एवं बंधेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।
   (ख) निविदा आवेदन पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।
   (ग) अग्रधन की राशि (निविदादाता के बैंक खाता के माध्यम से बनाया गया बैंक ड्राफ्ट)। साक्ष्य के रूप में संबंधित बैंक का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
   (घ) पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित फोटोप्रति।
   (च) संबंधित जिला से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण–पत्र/अन्य जिलों के मामले में घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।
   (छ) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र
   (ज) जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र।
   (झ) फर्म/प्राईवेट लि0 कम्पनी के मामले में अद्यतन लेखा (Balance sheet)।
   (ट) समिति के मामले मे अंकेक्षण रिपोर्ट।
   (ठ) Chartered Accountant द्वारा सत्यापित् विगत् तीन वर्षो के Annual accounts (Profit and loss सहित) की प्रति।
   (ड) वित्तीय वर्ष 2016–17 का आयकर रिटर्न।
5. सभी वांछित कागजातों को अपलोड करने के पश्चात् बोली आमंत्रण प्राधिकार द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। केवल वैध दस्तावेज समर्पित करने वाले बोलीदाताओं को ही ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।
6. आक्शन मोड के चयन के उपरांत आपको संबंधित सम्पदा का चयन करना होगा, जिसके उपरान्त नीलामी में प्रदर्शित सम्पदाओं की सूची विंडों में दर्शित होगी।
7. प्रत्येक बोलीदाता के कम्प्यूटर विंडों पर अन्य बोलीदाताओं की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। बोलीदाता के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।
8. आवश्यकता पड़ने पर ऑन–लाईन ई–ऑक्शन प्रकिया प्रारंभ होने के पश्चात, किन्तु ई–ऑक्शन की अंतिम तिथि के पश्चात भी शुद्विकरण के माध्यम से समय वृद्धि की जा सकती है, जो मात्र ऑन–लाईन प्रदर्शित होगी https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON
9. किसी विशिष्ट सम्पदा के ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्ति समय से 5 मिनट पहले यदि किसी बोलीदाता द्वारा बोली समर्पित की जाती है तो सिस्टम द्वारा स्वतः बोली समाप्ति की अवधि को अगले 10 मिनट तक के लिए विस्तारित कर दिया जायेगा। विस्तारित अवधि में उच्चतम बोली से अधिक बोली प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विस्तरित अवधि के समाप्ति के पश्चात् बोली की प्रक्रिया बन्द कर दी जायेगी।
10. सफलतम बोलीकर्ता को स्वचलित सिस्टम द्वारा ई–मेल के माध्यम से उच्चतम बोलीकर्ता होने की सूचना दी जाएगी।
11. बोली लगाते समय सभी आई0टी0 संसाधनों एवं उपकरणो के सुचारू रूप से कार्य करने संबंधी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या एवं इन्टरनेट विच्छेद संबंधी मामलो में संबंधित जिला खनन कार्यालय का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कारण से हुई क्षति के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
12. सभी संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी से संबंधित सभी निर्देशों, नियम एवं शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।

13. नीलामी की तिथि एवं समय उपरोक्त तालिका के ई–नीलामी कार्यक्रम में उल्लेखित है। सभी इच्छुक बोलीदाताओ से अनुरोध है कि ई–नीलामी से संबंधित अपने सभी आई0टी0 संसाधनो एवं उपकरणों की समुचित जाँच कर निर्धारित नीलामी कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करें।

14. ई–नीलामी संबंधित विवरणी एवं नियम–शर्त्तो की जानकारी e-Procurement Portal https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON and http://mines.bih.nic.in/ पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है।

15. Auction processing fees and Auction Tender Document fee non-refundable होगा। अतः इस संबंध में राशि वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

16. सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी हेतु पंजीकरण कराने एवं ऑन–लाईन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्त्तो को अच्छी तरह से पढ़ ले। आवेदन करने के बाद यह माना जायेगा कि बोलीदाताओं द्वारा नियम एवं शर्त्तो को ध्यान से पढ़ लिया गया है तथा सभी नियम शर्त्ते उनको मान्य है। बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अस्वीकारात्मक होगी।

17. ई–नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओ द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्ट आचरण का प्रयोग किया जाता है तो उस नीलामी प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जा सकता है।

18. इस संबंध में अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :–

कम संख्या	विशय	सम्पर्क स्थान एवं दूरभाश संख्या
1.	ई–नीलामी कार्यक्रम	आई0टी0 मैनेजर, मो0 नं0–8102218410
2.	पंजीयन की प्रक्रिया	ई–टेंडरिंग/ई–प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, प्रथम तल, प्लॉट नं0–एम/22, रोड नं0–25, श्रीकृष्णानगर, पटना–800001 दूरभाष संख्याः 0612–2523006, 7542028164
3.	तकनीकी सहायता	ई–टेंडरिंग/ई–प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क, पथम तल, प्लॉट नं0–एम/22, रोड नं0–25, श्रीकृष्णानगर, पटना–800001 दूरभाष संख्याः 0612–2523006, 7542028164

....

....

****

अनुलग्नक–1

जिला खनन कार्यालय,

शेखपुरा

निविदा दस्तावेज

बंदोबस्ती की अवधि– बंदोबस्ती की तिथि से 31.12.2019 तक

बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए शर्त्त एवं बंधेज।

प्रत्येक जिला में अवस्थित सभी नदियों को अलग–अलग खंड (stretch) मानते हुए एक इकाई के रूप में बंदोबस्ती की जायेगी।

1. ऑफर (Offer) देने की तिथि एवं समय :–

दिनांक–28.12.2018 के 5:00 बजे अपराह्न तक में इच्छुक व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी से बालूघाटों की उपर्युक्त अवधि के लिए बंदोबस्ती हेतु ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा दस्तावेज में निम्नांकित विवरण है:–

(क) निविदा के शर्त्त एवं बंधेज (अनुलग्नक 1)

(ख) बालूघाटों की विवरणी (अनुलग्नक 2)

(ग) तकनीकि निविदा का प्रपत्र (अनुलग्नक 3)

2. तकनीकि निविदा के लिए निम्नांकित कागजात दिया जाना होगा :–

i. निविदा के शर्तों एवं बंधेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।
ii. निविदा आवेदन पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।
iii. अग्रधन की राशि (निविदादाता के बैंक खाता के माध्यम से बनाया गया बैंक ड्राफ्ट)। साक्ष्य के रूप में संबंधित बैंक का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
iv. पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित फोटोप्रति।
v. संबंधित जिला से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण–पत्र/अन्य जिलों के मामले में घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।
vi. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र
vii. जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र।
viii. फर्म/प्राईवेट लि0 कम्पनी के मामले में अद्यतन लेखा (Balance sheet)।
ix. समिति के मामले मे अंकेक्षण रिपोर्ट।
x. Chartered Accountant द्वारा सत्यापित् विगत् तीन वर्षों के Annual accounts (Profit and loss सहित) की प्रति।
xi. वित्तीय वर्ष 2016–17 का आयकर रिटर्न।

3. बालूघाटों की बन्दोबस्ती हेतु नीलामी के शर्त्त एवं बंधेज :–

बालूघाटों की बन्दोबस्ती के लिये नीलामी के शर्त्त एवं बंधेज, बालूघाटों की विवरणी, निविदा–सह–नीलामी की प्रक्रिया, पात्रता एवं भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत विवरणई–ई0प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON निम्नवत् है:–

(i) प्रत्येक जिला/समेकित ईकाई के लिये अलग–अलग निविदा कागजात का क्रय करना होगा एवं निविदा देनी होगी ।

(ii) एक व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी एक से अधिक इकाई के लिये निविदा दे सकते हैं ।

(iii) बन्दोबस्ती निविदा–सह–नीलामी प्रक्रिया द्वारा की जायेगी ।

(iv) निविदा में भाग लेने के लिये निविदादाता का विगत् तीन वर्षों का औसत Annual Turnover सुरक्षित जमा राशि के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।

4. सुरक्षित जमा राशि का निर्धरण :–

प्रत्येक बालूघाट इकाई के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण उक्त इकाई की विगत् पंचांग वर्ष की बंदोबस्ती राशिमें 20 प्रतिशत की वृद्धि कर किया जायेगा। जिन जिलों का पूर्व में कभी बंदोबस्ती नहीं हुई है उन जिलों के लिए संबंधित समाहर्त्ता के स्तर पर गठित समिति द्वारा सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण किया जाएगा।

5. पात्रता (Eligibility):–

(i) भारत का नागरिक होना।

(ii) पैन कार्ड धारी होना।

(iii) रॉयल्टी/जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र का होना।

- संबंधित जिला से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण–पत्र तथा अन्य जिलों के मामले में घोषणा–पत्र /शपथ–पत्र।
- जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र/पूर्व से निबंधित नहीं रहने पर एक माह के अंदर निबंधन करा लेने संबंधी घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र

(iv) निविदादाता का विगत् 03(तीन) वर्षों का औसत Annual turnover सुरक्षित जमा राशि के 35 प्रतिशत् से कम नहीं होना चाहिये।

(v) जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र।

6. निविदा देने की प्रक्रिया :–

केवल ऑन लाईन पद्धति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON

7. निविदा के कागजात / राशि

(i) निविदा देने वाले को कुल सुरक्षित जमा राशि का 15 प्रतिशत राशि (Earnest Money) अग्रधन के रूप में online / offline की स्थिति में बैंक ड्राफ्ट के रूप में देना होगा। बैंक ड्राफ्ट निविदादाता के खाता के माध्यम से ही निर्गत होना चाहिये।

(ii) निविदादाता के नाम से आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित फोटो प्रति देनी होगी । सफल निविदादाता को डाक के पश्चात् दो दिनों के अन्दर मूल प्रति लाकर सत्यापन कराना होगा।

(iii) संबंधित जिला से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र – पूर्व में अगर निविदादाता द्वारा वृहत खनिज का पट्टा अथवा लघु खनिज की बन्दोबस्ती/अनुज्ञप्ति ली गयी हो अथवा स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति लिया गया हो तो संबंधित जिले के खनन पदाधिकारी से बकाया रहित प्रमाण पत्र लेकर जमा करना होगा। यदि निविदादाता पूर्व में कोई बन्दोबस्ती/पट्टा/ अनुज्ञप्ति नहीं लिये हों तो इस आशय का घोषणा–पत्र संलग्न करना होगा ।

(iv) निविदादाता को वाणिज्य–कर विभाग का स्वच्छता प्रमाण–पत्र जमा करना होगा। यदि वे जी0एस0टी0 से निबंधित नहीं हों तो निविदादाता इस आशय का घोषणा–पत्र देंगे कि बंदोबस्ती मिलने के एक माह के अन्दर निबंधन करा लेंगे ।

(v) जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र में निविदादाता का स्थायी एवं अस्थाई पता अंकित होना चाहिये। इसके अलावा यह अंकित होना चाहिये कि उनके विरूद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उक्त आचरण प्रमाण–पत्र छः माह की अवधि से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(vi) निविदादाता को Chartered Accountant द्वारा सत्यापित विगत तीन वर्षों के Annual Accounts (Profit & Loss Account सहित) संलग्न करना होगा।

(vii) स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज के फोटो ।

(viii) समिति के मामले में उप नियम (Bye-laws) और कम्पनी के मामलों में मेमोरैन्डम की प्रति दाखिल करनी होगी। साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी के दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी।

(ix) निविदादाता को विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ निविदा के सभी कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर करके जमा करना होगा।

8. <u>सफल निविदादाता का चयन</u>

(i) जो व्यक्ति /समिति/फर्म/कम्पनी तकनीकी निविदा में सफल होंगे, सिर्फ उन्हीं निविदादाताओं को नीलामी में भाग लेने का मौका दिया जायेगा । नीलामी में जो उच्चतम डाकवक्ता होंगे वही सफल निविदादाता माने जायेंगे ।

(ii) उच्चतम निविदादाता / डाकवक्ता द्वारा बन्दोबस्ती लेने से इन्कार करने पर या निर्धारित अवधि में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने पर उनका अग्रधन (earnest money) जब्त कर लिया जायेगा ।

(iii) सुरक्षित जमा राशि से कम बोली नीलामी में मान्य नहीं होगा।

(iv) एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में उक्त निविदा को खोले बिना पुनः अल्प निविदा आमंत्रित की जायेगी। दूसरी बार भी यदि और कोई निविदादाता नहीं आते हैं, तो एकल निविदा को सुरक्षित जमा के उपर बोली की स्थिति में समाहर्त्ता के अनुशंसा के साथ विभाग को भेजा जायेगा एवं विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त होने पर एकल निविदादाता के पक्ष में बालूघाटो का नियमानुसार बंदोबस्ती की जा सकेगी।

9. <u>बालूघाटों की बंदोबस्ती की अवधि तथा बंदोबस्ती छोड़ने संबंधी शर्त्त</u>

(i) बालूघाटों की बंदोबस्ती बंदोबस्ती तिथि से 31.12.19 तक के लिये मान्य होगी। द्वितीय वर्ष तथा उसके आगे के वर्ष के पूर्व के वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत् के समतुल्य होगी।

(ii) किसी भी परिस्थिति में उक्त अवधि में बंदोबस्ती नहीं छोड़ी जा सकती है और छोड़े जाने की स्थिति में उक्त अवधि की बंदोबस्ती की पूर्ण राशि (सभी करों सहित) वसूलनीय होगी।

10. <u>चयन के बाद की औपचारिकताएँ :–</u>

(i) सफल डाकवक्ता को सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि (नीलामी की राशि का 25 प्रतिशत्) का भुगतान (अग्रधन की राशि को समायोजित करते हुए) नीलामी की तिथि से तीन दिनों के अन्दर करना होगा। इसके पश्चात् ही सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(ii) सफल डाकवक्ता को सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश प्राप्त होने के पश्चात् खनन योजना (Mine Plan) RQP से तैयार कराकर एवं विभाग द्वारा अनुमोदित कराकर एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर दाखिल करना अनिवार्य होगा। बगैर अग्रिम पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र के कार्यादेश निर्गत नही किया जाएगा।

(iii) बन्दोबस्ती लेने के बाद किसी इकाई के सभी बालूघाटों के लिये बालू के उत्तोलन कार्य में संलग्न सभी सहयोगी व्यक्तियों / प्रबंधकों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक माह के अन्दर समाहर्त्ता को उपलब्ध कराना होगा।

(iv) प्रथम डाकवक्ता द्वारा किसी कारणवश बंदोबस्ती लेने में असफल रहने पर उनके द्वारा जमा अग्रधन एवं सम्पूर्ण राशि जप्त करते हुये दूसरे डाकवक्ता को अवसर दिया जायेगा। यदि द्वितीय डाकवक्ता भी किसी कारणवश बंदोबस्ती लेने में असफल रहते हैं, तो उनके द्वारा जमा अग्रधन राशि एवं सम्पूर्ण राशि को जप्त करते हुये पुनः नये सिरे से नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

11. <u>बन्दोबस्ती का एकरारनामाः–</u>

चयनित निविदादाता को बंदोबस्ती की स्वीकृति के 60 दिनों के अन्दर बन्दोबस्ती का एकरारनामा निष्पादित कराना होगा । स्टाम्प ड्यूटी बन्दोबस्तधरी द्वारा देय होगा।

12. <u>भुगतान की प्रक्रिया :–</u>

प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त बंदोबस्ती राशि का भुगतान बंदोबस्तधारी द्वारा निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :–

कमांक	किस्त	भुगतान की निर्धारित तिथि
1	प्रथम किस्त (50 प्रतिशत)	क– कार्यादेश निर्गत के पूर्व (प्रथम वर्ष हेतु) ख– 15 दिसम्बर (द्वितीय वर्ष तथा उसके पश्चात्)
2	द्वितीय किस्त (25 प्रतिशत)	15 अप्रैल
3	तृतीय किस्त (25 प्रतिशत)	15 सितम्बर

प्रतिभूति राशि का समायोजन बंदोबस्ती के अंतिम वर्ष के अंतिम किश्त के साथ किया जा सकेगा बशर्त्ते कि बंदोबस्तधारी पर किसी प्रकार का बकाया नही हो।

13. <u>GST का भुगतान :–</u>

बंदोबस्तधारी को जी0एस0टी0 के रूप में राशि वाणिज्य कर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार 3 किस्तों में भुगतान करना होगा। खनन् कार्यालय में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।

14. <u>आयकर/अन्य करों का भुगतानः–</u>

बंदोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि

के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन् कार्यालय द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।

15. जिला खनिज प्रतिष्ठान

सफल डाकवक्ता को बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान को जिला पदाधिकारी के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश निर्गत की तिथि के तीन माह के अन्दर जमा करना होगा।

16. *बालू के विक्रय दर का निर्धारण :–*

प्रत्येक बालूघाट इकाई की लोक नीलामी के माध्यम से बंदोबस्ती के पूर्व उक्त इकाई से प्रेषित किये जानेवाले बालू का विक्रय दर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जायेगा। नीलामी के पश्चात् बंदोबस्तधारी द्वारा किसी भी परिस्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित विक्रय दर से अधिक दर पर बालू का विक्रय संबंधित प्रेषण स्थल (Pit head) से नही किया जायेगा।

बालू विक्रय दर निर्धारण की प्रक्रिया :–

(i) उत्पादन खर्च– नियम 48 A के तहत् — (क) सुरक्षित जमा राशि (100 प्रतिशत); (ख) स्थापना खर्च (सु0जमा राशि का 5%)

(ii) हैंडलिंग खर्च – नियम 48 B के तहत् — शून्य।

(iii) ट्रान्सपोर्ट खर्च – नियम 48 C के तहत् — शून्य।

(iv) अन्य सभी कर – नियम 48 D के तहत् —
(क) वाणिज्य कर– (संबंधित विभाग के प्रचलित दर से)
(ख) आयकर– (संबंधित विभाग के प्रचलित दर से)
(ग) मुद्रांक शुल्क – (संबंधित विभाग के प्रचलित दर से)
(घ) निबंधन शुल्क– (संबंधित विभाग के प्रचलित दर से)
(ड.)जिला खनिज प्रतिष्ठान को देय राशि–(बंदोबस्ती राशि का 2 प्रतिशत)

इस प्रकार कुल खर्च = उत्पादन खर्च+स्थापना खर्च+अन्य सभी कर

मुनाफा = कुल खर्च का 10%

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{\text{कुल खर्च + मुनाफा}}{\text{प्रेषण की मात्रा}}$$

किसी बालू घाट इकाई के लिए प्रेषण की मात्रा की गणना हेतु उक्त इकाई के गत् वर्ष के प्रेषण पर विगत तीन वर्षो के प्रेषण में हुई औसत वृद्धि दर के अनुसार वृद्धि करते हुए प्रेषण की मात्रा निर्धारित की जायेगी।

नोट :– *उपर्युक्त गणना तालिका में यद्यपि सुरक्षित जमा राशि को आधार बनाया गया है, तथापि बंदोबस्तधारी को वास्तविक बंदोबस्ती राशि तथा उक्त बंदोबस्ती राशि के आधार पर हीं सभी देय करों का भुगतान करना होगा।*

17. **बालू खनन् की अधिकतम गहराई:-**

नदी तल से खनन की अधिकतम गहराई उचित बेंच रचना के साथ किसी समय उक्त बिन्दु पर अखनित तल स्तर से तीन मीटर अथवा Water table में जो कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

18. **बालू उत्खनन के प्रतिबंधित क्षेत्र:-**

(क) किसी रेलवे पुल एवं राज्य / राष्ट्रीय उच्च पथ (SH/NH) के अन्तर्गत पुल से 300 मी0 तथा सामान्य पुल से 100 मीटर दोनों तरफ के क्षेत्र।

(ख) कोईलवर रेलवे पुल की सुरक्षा हेतु उक्त पुल के दक्षिण ओर 600 मीटर तथा उत्तर की ओर 300 मीटर क्षेत्र ।

(ग) किसी भी सार्वजनिक स्थल यथा श्मशान घाट / धार्मिक स्थल आदि से 50 मीटर दूरी तक का क्षेत्र ।

(घ) नदी के दोनों किनारे से 5 मीटर का क्षेत्र छोड़कर ही बालू का खनन कार्य किया जायेगा ।

(च) डैम / वीयर / सिंचाई हेतु निर्मित्त अन्य structure से upstream and downstream की ओर से 100 मीटर का क्षेत्र बालू खनन हेतु प्रतिबंधित है ।

(छ) बाढ़ नियंत्रण तटबंधों से 46 मीटर दूरी तक का क्षेत्र । 46 मीटर से 61 मीटर तक का क्षेत्र में 1.80 मीटर की गहराई तक तथा 61 मीटर से 91 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र में 2.40 मीटर तक की गहराई तक खनन अनुमान्य होगा ।

(ज) सिंचाई हेतु निर्मित्त आउटलेट के स्तर को रिभर बेड के स्तर के बराबर रखना होगा यानि रिंभर बेड का स्तर आउटलेट के स्तर से नीचे कदापि नहीं होगा ।

(झ) इनफिलट्रेशन वेल / इनटेक वेल के चारों ओर बालू उत्खनन नहीं किया जायेगा। जिन नदियों से सिंचाई हेतु पईन निःसृत है, उस क्षेत्र में स्थानीय जल संसाधन विभाग के अभियंता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर बालू का उत्खनन किया जायेगा ताकि पईन सिंचाई प्रणाली प्रभावित नहीं हो।

19. **सामान्य शर्त्तें :-**

(i) बन्दोबस्तीधारी को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को ऑन लाईन ई0चालान (परिवहन चालान) निर्गत करना होगा।

(ii) नदी से बालू निकाल कर नदी तट से 300 फीट अलग बालू भंडारण करने पर अलग से स्टॉकिस्ट लाइसेंस लेना होगा।

(iii) नदी के तट से 1000 मीटर तक बंदोबस्तधारी को छोड़ किसी भी अन्य को बालू भंडारण करने हेतु स्टॉकिस्ट लाइसेंस नहीं दिया जायेगा ।

(iv) नदी से उत्तोलित बालू के लिये विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह की मासिक विवरणी अनुवर्त्ती माह की 15 तारीख तक संबंधित जिला खनन कार्यालय में दाखिल करना होगा ।

(v) बालू के उत्पादन एवं प्रेषण के लिये पंजी संधारित करनी होगी ।

(vi) नदी से बालू निष्कासन/ प्रेषण के स्थल पर साईन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें बन्दोबस्तीधारी का नाम-पता, बन्दोबस्ती अवधि, स्थानीय प्रबंधक का नाम-पता एवं विक्रय मूल्य अंकित होगा।

(vii) बन्दोबस्तधारी को बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972/ बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधान) नियमावली, 2014 के नियमों एवं शर्त्तों का पालन करना होगा।

(viii) श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बंदोबस्तधारी को श्रमिकों की सुविधा के लिये विश्राम शेड, पेय जल आदि की व्यवस्था करनी होगी ।

(ix) बंदोबस्तधारी को क्षेत्र/क्षेत्रों का निरीक्षण एवं घाटों का संचालन स्वयं एवं प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से करना होगा। नदी/ घाट से बालू के परिवहन हेतु मार्ग का निर्माण स्वयं कराना होगा।

(x) यदि दो जिलों के सीमा क्षेत्र में कोई विवाद होता है तो इसके समाधान हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी संयुक्त रूप से निर्णय ले सकेंगे तथा इसकी सूचना विभाग को देंगे।

(xi) बालू के उत्खनन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक जे0सी0बी0/पोकलेन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सूर्यास्त के बाद रौशनी की समुचित व्यवस्था कर ही जे0सी0बी0/पोकलेन मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। महिला श्रमिकों से सूर्यास्त के बाद कोई कार्य नही लिया जायेगा।

(xii) बालू लदे सभी वाहनों को तारपोलिन से ढककर बालू का परिवहन करना अनिवार्य होगा।

(xiii) बंदोबस्तधारी को धर्मकॉटा की स्थापना आवश्यकतानुसार सरकार के निदेश पर करनी होगी।

(xiv) बंदोबस्तधारी को सभी वाहनों पर सूखे बालू की यथा संभव लदाई सुनिश्चित करनी होगी, ताकि परिवहन के समय बालू से पानी का रिसाव सड़क पर न हो। इसके लिए उन्हें आवश्यकतानुसार सेकेण्डरी लोडिंग की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी, जिसके लिए अलग से उन्हें कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(xv) खनन स्वामिस्व/GST/आयकर/स्टाम्प डयूटी/निबंधन शुल्क/अन्य करों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में बंदोबस्तधारी को 30 दिनों की कारणपृच्छा नोटिस दी जाएगी तथा इसका अनुपालन निर्धारित समय के अन्दर नहीं करने की स्थिति में उनकी बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

(xvi) बन्दोबस्तधारी को समाहर्त्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में जनहित में दिये गये अन्य निर्देशों का पालन करना होगा ।

(xvii) उपर्युक्त शर्त्तों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी ।

(xviii) समाहर्त्ता को सरकार के हित में, सुनवाई का मौका देकर तर्कसंगत आदेश पारित करते हुये निविदा एवं बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार होगा ।

(xix) खनिज की अनुपलब्धता, मार्ग व्यवधान, सीमाना से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्यान्य कारण से उत्तोलन में बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।

(xx) सफल निविदादाता को विभागीय अधिसूचना संख्या–2887/एम0, दिनांक–22.07.2014 में उल्लेखित संचालन के नियम एवं शर्त्त यथा खनन् योजना (माईनिंग प्लान), पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र (Environmental Clearance) एवं अन्य का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

****

अनुलग्नक–2

बंदोबस्ती हेतु बालूघाटों की विवरणी

जिला–

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	जिला / समेकित इकाई का विवरण	सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति।
1	2	3	4	5

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम–

मोहर–

बालूघाट की बंदोबस्ती हेतु तकनीकि निविदा का प्रपत्र

(निविदादाता अपने लेटर–हेड अथवा सादा कागज का प्रयोग करें।)

व्यक्ति का फोटो (व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य मामले में प्रबंधक/मैनेजिंग पार्टनर का फोटो)

1. निविदादाता का नाम (समिति या प्राईवेट लि0 कम्पनी या फर्म के मामले में प्रबंधक/अधिकृत हस्ताक्षर करने वालो का नाम) :
2. पिता का नाम (समिति या प्राईवेट लि0 कम्पनी या फर्म के सचिव/प्रबंधक/अधिकृत हस्ताक्षर करने वाले के पिता का नाम) :
3. पत्राचार का पता :
4. स्थायी पता :
5. सम्पर्क हेतु दूरभाष सं0 : (कार्या0) (आ0)
   (मो0)
6. पैन कार्ड संख्या (कृपया स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :
7. सुसंगत अधिनियम के अनुसार समिति/ फर्म/ प्राईवेट लि0 कम्पनी का पंजीयन संख्या (कृपया स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :
8. बकाया रहित प्रमाण–पत्र :
   (कृपया स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
   संबंधित जिला से स्वामित्व स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा अन्य जिलों के मामलें में घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।
9. Chartered Accoutant द्वारा सत्यापित विगत् तीन वर्षो के Annual Accounts(Profit and Loss Account सहित) की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें। :
10. स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटों :
11. GST निबंधन प्रमाण–पत्र :
12. वित्तीय वर्ष 2016–17 का आयकर रिटर्न :
13. जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र (स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :
14. समिति /फर्म/प्राईवेट लि0 कम्पनी के मामले में अद्यतन अंकेक्षण रिपोर्ट :

15. आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन / उप नियम (कृपया संलग्न करें)(व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य के मामले में) :

16. साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। :

17. जिला का नाम :

18. बालूघाट ईकाई का विवरण जिसके लिये निविदा दी गई है। :

19. सुरक्षित जमा राशि :

20. अग्रधन की राशि तथा उसका पूर्ण विवरण (Offline स्थिति में) :

    i. बैंक ड्राफ़्ट संख्या–
    ii. निर्गत करने वाले बैंक एवं शाखा का नाम–
    iii. तिथि–
    iv. राशि–
    v. निविदादाता का बैंक खाता संख्या–

21. बैंक ड्राफ़्ट निविदादाता के बैंक खाता से बने होने के संबंध में संबंधित बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करें :

तिथि–

नाम एवं हस्ताक्षर

****